न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –
46 / 2018 / प्रार्थना पत्र

तारीख दायर
15.03.2018

तारीख फैसला
13.04.2018

उनवान

गोर्धन पिता चतरा बैरवा निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– नारायण पिता शौकिन बलाई निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
2– मोहन पिता हजारी बलाई निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
3– मगना पिता रामा बलाई निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
4– गोपाल पिता खाना बैरवा निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
5– श्रीकिशन पिता सवाई बैरवा निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
6– उमराव पिता चांद मोहम्मद बिसासयती निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
7– भागचन्द पिता प्रेमचन्द नाबेड़ा निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
8– नन्दा पिता भैरू बैरवा निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां
9– श्रीकिशन पिता धन्ना प्रजापत निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां
10–सत्यनारायण पिता मदन माली निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
11–सुरजमल पिता मोती प्रजापत निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां
12–छोटू पिता भुरा माली निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
13–रामनारायण पिता जेठू प्रजापत निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम

अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 94 आ0न0 313 रकबा 0.57 है0, आ0न0 1123/1720 रकबा 0.18 है0, आ0न0 1084 रकबा 0.70 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 1.45 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 13 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्व दिनांक 13.04.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 94 आ0न0 313 रकबा 0.57 है0, आ0न0 1123/1720 रकबा 0.18 है0, आ0न0 1084 रकबा 0.70 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 1.45 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 94 आ0न0 313 रकबा 0.57 है0, आ0न0 1123/1720 रकबा 0.18 है0,

आ0न0 1084 रकबा 0.70 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 1.45 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 600/– (अक्षरे छः सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.04.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
फूलिया कलॉं, जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं, जिला–भीलवाड़ा